न्यायमूर्ति वी. के. बाली और न्यायमूर्ति बी. राय के समक्ष

दलजीत सिंह राजपूत,-याचिकाकर्ता

बनाम

चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य,-उत्तरदाता।

***1998* का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 1773**

11 दिसंबर, 1998

भारत का संविधान, 1950-अधिनियम 21* और *226*—*न्यायिक हिरासत में रहते हुए मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करने का वकील का अधिकार-आपराधिक विधि मे याचिकाकर्ता को न्यायिक हिरासत मे रहते हुए ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है -याचिकाकर्ता को मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करने के लिए अदालत में पेश होने की अनुमति देना जमानत देने के बराबर होगा-उच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा।

अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वह भारत के संविधान के तहत उसे दिए गए किसी भी मौलिक अधिकार का उपयोग कर सके, ताकि वह न्यायिक हिरासत से मुक्ति प्राप्त कर सके जिससे वह अपने मुवक्किल का पक्ष ले सके। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित अधिनियम में ही इसके साथ एक अपवाद अंतर्निहित है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत देश के स्थापित आपराधिक कानून के कारण है।

(पैरा 3)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि याचिकाकर्ता को वांछित राहत केवल इस आधार पर दी जाती है कि उसके मुवक्किल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उसके खिलाफ उपाय की मांग कर सकते हैं, तो इसका परिणाम वस्तुतः जमानत देने में होगा जो अन्यथा आपराधि क मामले से निपटने वाले सक्षम न्यायपालिका के न्यायालय से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। किसी भी दृष्टिकोण से देखने पर ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उच्च न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है।

(पैरा 4)

एच. एस. गिल, वरिष्ठ *अधिवक्ता-याचिकाकर्ता की ओर से।*

आदेश

वी. के. बाली, नीयमूर्ति

(1) यह याचिका इस न्यायालय के एक अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह राजपूत द्वारा दायर की गई थी, यह याचिका को जेल से प्राप्त किया गया था- यह याचिका 19 *नवंबर,* 1998 के आदेश अनुसार प्राप्त हुई है। हमने इस न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री एच. एस. गिल से अनुरोध किया, कि वे इस मामले मे न्यायालय

कि सहायता करे। कार्यालय को उन्हें कागजी किताब की एक प्रति प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

(2) याचिकाकर्ता-अधिवक्ता की मांग है कि वह न्यायिक हिरासत में रहते हुए, उच्च न्यायालय में लंबित अपने मुवक्किलों के मामलों का संचालन कर सके। याचिकाकर्ता पुलिस स्टेशन, सेक्टर 34, चंडीगढ़ से संबंधित 11 जून, 1998 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या 109 में शामिल है। वह 13 जून, 1998 की एक अन्य प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 31 में भी शामिल है, जो सोहना पुलिस द्वारा उसके खिलाफ दर्ज की गई थी। जहाँ तक 13 जून, 1998 की एफ. आई. आर. संख्या 31 कि बात है, वह जमानत पर है। हालाँकि, उन्हें 1998 की एफ. आई. आर. संख्या 109 में जमानत देने से इनकार कर दिया गया है। इस बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया है कि 1998 की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 109 में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी किन परिस्थितियों में हुई, जिसमें उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया है। एफ. आई. आर. की एक प्रति और उसकी जमानत खारिज करने के आदेश को भी रिट के साथ संलग्न नहीं किया गया है। याचिका के समर्थन में केवल इतना ही उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता एक आयकर दाता है और किसी खतरे के कारण उसे सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई थी। यह भी अनुरोध किया गया है कि अधिवक्ता, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं और उनके मुवक्किल उनकी अनुपस्थिति के कारण याचिका दायर करने की धमकी दे रहे हैं क्योंकि जब उनके मामले अदालतों द्वारा बुलाए/लिए जाते हैं, न्यायिक हिरासत मे होने क कारण याचिककर्ता न्यायालय मे उपस्थित नहीं हो रहे हैं।

(3) ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपर उल्लिखित एफ. आई. आर. में जमानत प्राप्त करने में असमर्थ, याचिकाकर्ता, अपने स्वयं कि पैरवी के अलावा, अपने मुवक्किलों के हितों की पैरवी भी कर रहा है। स्वयं के लिए, यह ग्राहकों की धमकियाँ और उपभोक्ता न्यायालय के समक्ष ऐसी धमकियों के परिणामी परिणाम हैं जिनसे वह बचना चाहता है। याचिका में मौखिक या लिखित रूप से उन्हें मिली धमकियों का कोई विवरण नहीं है। जो भी हो, जिस प्रश्न पर निर्णय की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या अपने मुवक्किलों की धमकियों और ऐसी धमकियों के परिणामों से बचने के लिए, यदि तार्किक उद्देश्यों के लिए लिया जाता है, तो याचिकाकर्ता भारत के संविधान के तहत उसे दिए गए किसी भी मौलिक अधिकार का आह्वान कर सकता है, ताकि वह न्यायिक हिरासत से स्वतंत्रता प्राप्त कर सके, जिससे वह अपने मुवक्किलों का पक्ष ले सके। हमारे विचार में, याचिकाकर्ता को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद मे ही एक अपवाद अंतर्निहित है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत देश के स्थापित आपराधिक विधि के कारण है। जहां तक याचिकाकर्ता के स्वतंत्रता के अधिकार का संबंध है, इस मामले में इसे लागू नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक याचिककर्ता के अधिकारों कि बात है, याचिक्करता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों से खुद को बचना चाहता है,

यह कहना पर्याप्त है कि यदि याचिकाकर्ता उन मामलों में उपस्थित होने में असमर्थ है जिनमें वह अपने नियंत्रण से परे कारणों से लगा हुआ है, तो उसे उन बचावों के बारे में सोचना है जो उसके लिए उपलब्ध हो सकते हैं। इस स्तर पर याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध बचाव पर ध्यान देना बहुत जल्दबाजी होगी। निश्चित रूप से, याचिकाकर्ता स्वयं एक वकील होने के नाते, ऐसे बचाव के बारे में जानता है और हम यह टिप्पणी करने के लिए विवश हैं कि वर्तमान याचिका केवल एक परिणाम प्राप्त करने के लिए दायर की गई है जो याचिकाकर्ता आपराधिक अदालत से जमानत प्राप्त करने के अपने प्रयास में असमर्थ रहा है।

(4) श्री गिल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, न्यायालय की सहायता करते हुए, हमें आगे सूचित करते हैं कि (यदि याचिकाकर्ता को वांछित राहत केवल इस आधार पर दी जाती है कि उसके मुवक्किल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उसके खिलाफ उपचार की मांग कर सकते हैं, तो इसका परिणाम वस्तुतः जमानत देने में होगा जो अन्यथा आपराधिक मामले से निपटने वाले सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत से प्राप्त नहीं किया जा सकता था)।अपने मुवक्किलों की ओर से पेश होने की यह याचिका न केवल वकीलों से बल्कि किसी भी तरह के पेशे में लगे डॉक्टरों, वास्तुकारों और अन्य लोगों से भी आसानी से पेश कि जा सकते है। किसी भी दृष्टिकोण से देखने पर ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उच्च न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है।

(5) इस याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हुए, हम इसे *इन लिमने खारिज करते हैं।*

जे एस टी ***22608*** **एच. सी.-सरकार। *प्रेस, यू. टी., सीएच. डी.***

(अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय, वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके, और किसी अन्य उद्देश्य के लिया इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।)

रवि अमितोज़, प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी